फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
कैलाश कुमार पुत्र सवदाराम जाति रेबारी निवासी सुमेरपुर वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद **GCMS NO. -2024/345**

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये.
10/09/24	तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बीरोलिया स्थित भूमि खसरा नंबर 300/1 रकबा 11.2000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 78.40 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बेडल एवं निरीक्षक भू0अ0 खुडाला द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
कैलाश कुमार पुत्र सवदाराम जाति रेबारी निवासी सुमेरपुर वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2024/345
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बीरोलिया स्थित भूमि खसरा नंबर 300/1 रकबा 11.2000 हैक्टर, किस्म बारानी अव्वल कुल लगान 78.40 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बेडल एवं निरीक्षक भू0अ0 खुडाला द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-09-24 को जारी की गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 29/08/2024 06:11:02 PM

जिला : पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : खुडाला

पटवारी हल्का : बेडल | ग्राम : बीरोलिया

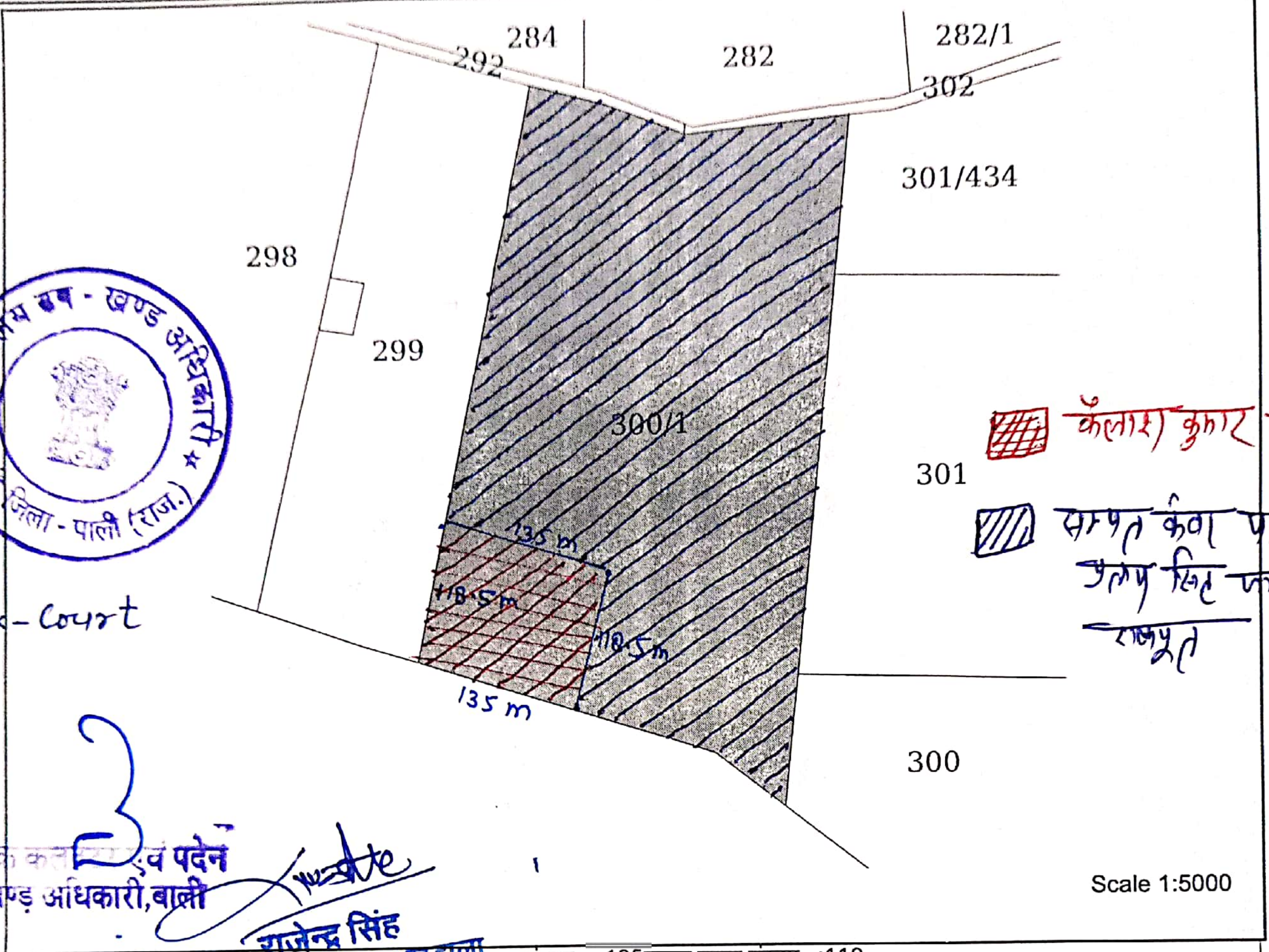

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Ex-Court

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

राजेन्द्र सिंह

भू अभिलेख निरीक्षक, खुडाला तहसील-बाली (पाली)

खसरा संख्या :300/1 क्षेत्रफल : 11.2000 Hectare खाता संख्या : 125पुराना खाता संख्या :119

भूमि किस्म[क्षेत्रफल हेक्टेयर]: बारानी अव्वल [11.2000, 78.40]

1.) कैलाश कुमार पुत्र सवदाराम हिस्सा- 1/21 जाति- रैबारी (देबासी) सा. कोलिवाडा रोड सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली खातेदार

2.) रमेश सिंह पुत्र तारासिंह हिस्सा- 1/21 जाति- राजपूत सा. कोलिवाडा रोड सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली खातेदार

3.) संपत कंवर पत्नि प्रतापसिंह पुत्री विजयसिंह हिस्सा- 6/7 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

4.) हितेश देवासी पुत्र गजाराम हिस्सा- 1/21 जाति- रैबारी (देबासी) सा. कोलिवाडा रोड सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

पटवारी ... पटवार मण्डल ... तह.बाली, जिला-पाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

रमेश सिंह कैलाशकुमार हितेशदेवासी सम्पत कुंवर

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

Scanned with CamScanner